न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 11 / 2018
प्रविष्टि दिनांक 10.01.2018

अर्जुन पुत्र पांचू जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोंक राजस्थान
—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 18.09.2017. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री भजन लाल सैनी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 08.08.2018.**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने आदेश दिनांक 18.09.2017 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम रोशनपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है और ना ही अपीलांट ने अतिक्रमण कर बाडा बनाया है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिश वंश गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है,जो मौके की वास्तविक स्थिति के काफी विपरित है। अपीलांट द्वारा कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही किया है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्पींकिग आदेश जारी नही किया गया है। अपीलाण्ट ने कब्जा हटाने व भविष्य मे कब्जा नही करने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

जिला कलक्टर
टोंक

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन कियां कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी राजकीय भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है,उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम रोशनपुरा के खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 है0 भूमि पर बाडा बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.09.2016 से सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। नायब तहसीलदार सोप ने उनके पत्र क्रमांक 555 दिनांक 25.06.2018 से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ख0नं0 178 से दिनांक 23.06.2018 को मौके से भौतिक रूप से पुलिस व प्रशासन द्वारा कब्जा हटाया जाकर भूमि खाली करा दी गई है। अपीलाण्ट ने शपथ पत्र पेश किया है कि मेरा उक्त भूमि पर वर्तमान मे कोई कब्जा नही है,उक्त भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य मे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करूँगा।ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.09.2017 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलाण्ट द्वारा शास्ती राजकोष मे जमा करादी है तथा अपीलाण्ट ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। नायब तहसीलदार सोप यह सुनिश्चित करले की अपीलाण्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलाण्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर (राजस्थान) सत्यमेव जयते